प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्यपाल, झारखण्ड को सुपुर्द करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड में पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में छः विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन से संबंधित चार लेखापरीक्षा कंडिकाएँ भी शामिल है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टान्त वैसे हैं, जो 2017-18 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये तथा वैसे भी जो पूववर्ती वर्षों में पाये गए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके; जहां कहीं आवश्यक है, 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी सम्मिलित किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा व लेखा विनियम 2007 के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।